[2021] 2 एस.सी.आर. 964

केरल राज्य

बनाम

महेश

(आपराधिक अपील संख्या 343/2021)

19 मार्च, 2021

[इंदिरा बनर्जी और कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्तिगण]

लगभग 30 वर्ष की आयु की एक महिला डॉक्टर की चौंकाने वाली हत्या–कथित रूप से पीड़ित के पिता की उपस्थिति में हुई घटना–उसकी जमानत याचिका सत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी–हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जमानत याचिका को सत्र न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के कुछ दिनों के भीतर मंजूरी दे दी गई थी–राज्य ने जमानत देने के खिलाफ अपील दायर की–आयोजितः विवादित आदेश में, उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के तर्क में किसी भी त्रुटि का विज्ञापन नहीं किया न ही इस बात पर कोई चर्चा हुई कि उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण क्यों लिया और क्या सत्र न्यायालय के आदेश के कुछ दिनों के भीतर कोई पर्यवेक्षी परिस्थितियाँ थीं, जिसके कारण एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता थी–उच्च न्यायालय

अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस आशंका की सराहना नहीं करने में स्पष्ट रूप से गलती की कि प्रतिवादी गवाहों को प्रभावित करेगा, प्रतिवादी को ओलूर पुलिस स्टेशन उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने का निर्देश देकर इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया

कि मृतक पीड़िता एर्नाकुलम में रहती थी–उसके माता–पिता और उसकी पांच साल की बेटी एर्नाकुलम में रहते थे–अधिकांश

अभियोजन पक्ष के गवाह त्रिशूर से थे–यह मानने का कोई कारण नहीं था कि गवाह अपनी गतिविधियों को ओलूर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं तक सीमित रखेंगे–उच्च न्यायालय ने भी इस न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के उद्देश्य, दायरे और दायरे की पूरी तरह से गलत तरीके से सराहना की। जेलों में कोविड–19 वायरस का संक्रमण–इस अदालत के आदेशों को किसी भी निर्देश, या यहाँ तक कि अवलोकन के रूप में नहीं माना जाना था, जिसमें हत्या के आरोप में विचाराधीन कैदियों की रिहाई की आवश्यकता थी, और वह भी, जांच पूरी होने और आरोप पत्र दायर होने से पहले–प्रतिवादी पर एक चश्मदीद गवाह की उपस्थिति में हत्या का आरोप लगाया गया था, और जमानत देने का विवादित आदेश पहले भी दायर किया गया था आरोप पत्र दाखिल किया गया था–इसके अलावा, प्रतिवादी–घटना के बाद से आरोपी फरार था–जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार किया जा सकता है। जमानतः जमानत देने और

जमानत रद्द करने के खिलाफ अपील किसी मामले की शुद्धता का फैसला करने के लिए अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग

जमानत आदेश जमानत रद्द करने के सिद्धांतों द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि हालांकि Cr.P.C की धारा 439 के तहत जमानत देने की शक्ति विवेकाधीन है, लेकिन

विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए कोई सीधा जैकेट फॉर्मूला नहीं है। आरोप की गंभीरता निस्संदेह प्रासंगिक विचारों में से एक है जबकि

जमानत आवेदनों पर विचार करना। सभी प्रासंगिक कारकों को होना चाहिए

न्यायालय द्वारा जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते हुए, जिसमें अपराध की गंभीरता, साक्ष्य और सामग्री जो प्रथम दृष्टया कथित अपराध में जमानत के लिए आवेदक की संलिप्तता को दर्शाती है, जमानत के लिए आवेदक की संलिप्तता की सीमा, अभियुक्त अभियुक्त के फरार होने या अन्यथा न्याय के मार्ग को हराने या देरी करने की संभावना, गवाहों को धमकी दिए जाने या प्रभावित किए जाने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किए जाने की उचित आशंका, और अभियुक्त के लिए जोखिम शामिल हैं।

पीड़ित (यदि जीवित है), शिकायतकर्ता, उनके रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य गवाहों की सुरक्षा। [पारस 16,22] [973–ए; 977–ई–एच]

राम गोविंद उपाध्याय बनाम। सुदर्शन सिंह और अन्य। (2002) 3 एससीसी 598: [2002] 2 एससीआर 526; प्रशांत कुमार सरकार बनाम। आशीष चटर्जी और अन्र। (2010) 14 एससीसी

496 [2010] 12 एस. सी. आर. 1165; महिपाल बनाम राजेश कुमार और अन्र। (2020) 2 एस. सी. सी. 118; संजय चंद्र बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2012) 1 एस. सी. सी. 40 [2011]

13 एस. सी. आर. 309; सिद्धराम सतलिंगप्पा क्षेत्र बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2011) 1 एससीसी 694 [2010]

15 एस. सी. आर. 201–निर्भर।

2. यह न्यायालय अनुच्छेद [2021] 2 एस. सी. आर. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश में आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं करता है। 136 संविधान से। हालाँकि, जमानत देने और/या अस्वीकार करने के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करने की प्रथा असाधारण नहीं है। बिना सोचे समझे और प्रासंगिक कारकों की अवहेलना करते हुए जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश को कायम रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जमानत आदेश की

शुद्धता का निर्णय करने के लिए अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग जमानत रद्द करने के सिद्धांतों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। [पारस 24,29] [978–बी–डी; 979–डी]

जगदीश और ओआरएस। वी. हरेंद्रजीत सिंह (1985) 4 एस. सी. सी. 508; पी. चिदंबरम बनाम। प्रवर्तन निदेशालय 2020 (13) एस. सी. सी. 791; दोलत राम और अन्य। वी. हरियाणा राज्य (1995) 1 एससीसी 349: [1994] 6 पूरक। एससीआर 69; प्रभाकर तिवारी बनाम। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य। (2020) 11

एस. सी. सी. 648 संदर्भित है।

3. उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय द्वारा अपने आदेश में दिए गए विस्तृत कारणों पर न तो विचार किया और न ही चर्चा की।

जमानत के लिए प्रतिवादी अभियुक्त की प्रार्थना को अस्वीकार करना। द.

4. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार नहीं करने में गलती की कि अभियोजन पक्ष की इस आशंका को कि प्रतिवादी अभियुक्त गवाहों को प्रभावित करेगा, निर्देश देकर शांत नहीं किया जा सका प्रत्यर्थी अभियुक्त ने ओलूर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि मृतक पीड़ित एर्नाकुलम में रहती थी। उनके माता–पिता और उनकी पाँच साल की बेटी एर्नाकुलम में रहती हैं। दूसरे शब्दों में, एकमात्र चश्मदीद गवाह एर्नाकुलम का निवासी है। अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह त्रिशूर के थे। यह मानने का कोई कारण नहीं था कि गवाह उन्हें प्रतिबंधित करेंगे।

ओलूर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र की सीमा तक आंदोलन। [पैरा 35] [983–एफ–एच]
5. आक्षेपित आदेश से आगे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी अभियुक्त को जमानत देने में, उच्च न्यायालय ने केरल बनाम राज्य को लिया। इस तथ्य पर ध्यान दें कि दो अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि इन दो अभियुक्त व्यक्तियों का नाम प्राथमिकी में नहीं था। उन पर प्रतिवादी अभियुक्त को शरण देने की धारा 212 के तहत अपराध की जांच के बाद आरोप लगाया गया था, जो दंडनीय था

प्रत्यर्थी अभियुक्त के विपरीत, अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए कारावास, धारा 302 के तहत हत्या का आरोप आई. पी. सी., जिसमें आजीवन कारावास की न्यूनतम सजा शामिल है। [पैरा 36] [984–ए–सी]

6. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि नोवेल कोविड–19 महामारी का प्रकोप और इसका प्रसार गंभीर सार्वजनिक चिंता का विषय रहा है। 2020 की सुओ मोटू रिट याचिका (सिविल) संख्या 1 में पुनः: जेलों में कोविड–19 वायरस का संक्रमण, यह अदालत

भीड़भाड़ वाले सुधार गृहों में बंद कैदियों के बीच कोविड–19 के फैलने की संभावना पर चिंता व्यक्त की

इस न्यायालय द्वारा समय–समय पर पुनः जेलों में कोविड 19 वायरस का संक्रमण। इस न्यायालय ने अपराध की गंभीरता की परवाह किए बिना सभी विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का निर्देश नहीं दिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्धारित करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया था कि किस वर्ग के कैदियों को ऐसी अवधि के लिए पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है जिसे उचित माना जाए। इस न्यायालय के आदेश नहीं होने चाहिए इसे किसी भी निर्देश या अवलोकन के रूप में माना जाता है, जिसमें हत्या के आरोप में विचाराधीन कैदियों की रिहाई की आवश्यकता होती है, और वह भी, जांच पूरी होने और आरोप पत्र दायर होने से पहले। प्रतिवादी अभियुक्त पर एक चश्मदीद गवाह की उपस्थिति में हत्या का आरोप लगाया गया था, और आरोप पत्र दायर होने से पहले ही जमानत देने का विवादित आदेश दायर कर दिया गया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप पत्र 01.01.20 पर दाखिल किया गया है।

इसके अलावा प्रतिवादी आरोपी घटना में फरार था। [पारस 37,38] [984–सी–एच; 985–ए–बी]

	मामला कानून संदर्भ	
[2002] 2 एससीआर 526	पैरा 16	पर भरोसा करें
[2010] 12 एससीआर 1165	पैरा 17	पर भरोसा करें
(2020) 2 एससीसी 118	पैरा 18	पर भरोसा करें
[2011] 13 एससीआर 309	पैरा 19	पर भरोसा करें
[2010] 15 एससीआर 201	पैरा 19	पर भरोसा करें
(1985) 4 एस. सी. सी. 508	पैरा 24	संदर्भित किया गया है
(2020) 13 एस. सी. सी. 791	पैरा 26	संदर्भित किया गया है
[1994] 6 पूरक। एससीआर 69	पैरा 27	संदर्भित किया गया है
(2020) 11 एस. सी. सी. 648	पैरा 30	संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील 343/2021

और

अंतर्वर्ती आवेदन संख्या। 24659 और 2021 का 41412

उच्च न्यायालय के 21.12.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 के जमानत आवेदन संख्या 8821 में एर्नाकुलम में केरल सरकार की ओर से।

निशे राजन शोंकर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

रागेंथ बसंत, सुश्री रसना कलकट, सुश्री लिज़ मैथ्यू, जैन

एंड्रयूज, पियो हैरोल्ड जैमन, संदीप ठाकुर, नरेश कुमार, प्रतिवादी के लिए

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति, इंदिरा बनर्जी द्वारा दिया गया था

अनुमति प्रदान की गई

2. केरल राज्य द्वारा दायर यह अपील एक ओ के खिलाफ है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21 दिसंबर 2020 लगभग 30 वर्ष की आयु की एक जघन्य और चौंकाने वाली महिला डॉक्टर की हत्या के आरोपी प्रतिवादी को जमानत।

3. यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि 28 सितंबर 2020 को दोपहर लगभग 3:30 बजे, प्रतिवादी अभियुक्त ने पीड़ित को चाकू मार दिया।

कुट्टानेल्लूर में पीड़ित द्वारा संचालित एक बहु-विशेषज्ञता दंत चिकित्सालय के अंदर चाकू। पीड़ित ने 4 अक्टूबर, 2020 को जुबली मिशन अस्पताल में दम तोड़ दिया।

4. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़ित ने मुलाकात की

प्रत्यर्थी अपने पूर्व पति से तलाक के बाद अभियुक्त। पीड़ित और प्रतिवादी आरोपी करीब हो गए और 2018 से एक साथ रहने लगे। पीड़ित गर्भवती हो गई, लेकिन प्रतिवादी अभियुक्त ने उसे धमकी देकर गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया।

5. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतक पीड़िता ने अपनी वित्तीय सहायता से मल्टी स्पेशियलिटी डेंटल क्लिनिक शुरू किया था।

पिता। प्रतिवादी अभियुक्त ने क्लिनिक से पैसे का दुरुपयोग किया और पीड़ित को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान भी किया। इन परिस्थितियों में, पीड़ित को प्रतिवादी अभियुक्त से अलग होने और अपने घर पर रहने के लिए विवश किया गया था। जैसे ही प्रतिवादी आरोपी ने पीड़िता को धमकी देना जारी रखा, पीड़िता ने अपने पिता के साथ 26 सितंबर, 2020 को शहर के पुलिस आयुक्त, त्रिशूर में शिकायत दर्ज कराई।

6. पीड़ित को समझौता करने के लिए ओलूर पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उसके बाद 28 सितंबर 2020 को 3:30 बजे उसके दंत चिकित्सालय में बुलाया गया। अपराह्न।

प्रतिवादी अभियुक्त ने पीड़ित को दाहिनी ओर चाकू से वार किया पेट की तरफ, उसके पिता की उपस्थिति में, दंत चिकित्सालय में।

7. 28 सितंबर 2020 को त्रिशूर के ओलूर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 324 और 307 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

कोड (आई. पी. सी.), जिसके अनुसार अपराध सं. 1777/2020 ओलूर पुलिस का

स्टेशन शुरू किया गया था। हालाँकि, पीड़ित की मृत्यु के बाद, धारा 307 जोड़ी गई और उस प्रभाव के लिए एक समावेशन रिपोर्ट दायर की गई। न्यायिक न्यायालय। ऊपर बताए गए अपराध के तहत दर्ज किया गया है

आई. पी. सी. की धारा 341, 324, 201, 212, 307 और 302। प्रतिवादी अभियुक्त को 6 अक्टूबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।

8. प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा सत्र न्यायालय में दायर जमानत आवेदन को 9 दिसंबर, 2020 के एक आदेश द्वारा निम्नलिखित निष्कर्षों के साथ खारिज कर दिया गया थाः

" 12. शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जमानत के लिए एक आवेदन पर विचार करते हुए, अदालत ने सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट दी

विवेक का प्रयोग सावधानीपूर्वक विवेकपूर्ण तरीके से करना पड़ता है और सावधानी, हालांकि इस स्तर पर साक्ष्य की विस्तृत जांच और मामले की योग्यता को छूते हुए विस्तृत तर्क की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्रम में इंगित करने की आवश्यकता है

जमानत क्यों नहीं दी जाती है, इसके प्रथम दृष्टया निष्कर्ष के कारण। अकेले आरोप के समर्थन में अदालत की प्रथम दृष्टया संतुष्टि अदालत के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि क्या याचिकाकर्ता जमानत का आदेश प्राप्त करने का हकदार है। केस डायरी से सामने आई रिकॉर्ड की गई सामग्री से यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता चाकू लेकर क्लिनिक पहुंचा था और मुकदमे की समाप्ति के बाद।

चर्चा, उन्होंने मृतक पर हमला किया था और बहुत

चाकू से गंभीर चोट लगी और उसके आंतरिक महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा। अपराध करने के बाद, याचिकाकर्ता फरार हो गया था और उसे पूनकुन्नम में याचिकाकर्ता के आगमन के बारे में जांच एजेंसी द्वारा गुप्त जानकारी प्राप्त करने पर ही 06.10.2020 पर पकड़ा जा सका था। अपराध करने के बाद, याचिकाकर्ता ने अपनी कार छोड़ दी थी और खुद को फरार कर लिया था और खुद को अपराध से दूर रखा था।

अपने भाई, कर्मचारी और एक दोस्त की सहायता से पुलिस के पास। याचिकाकर्ता के अदालत में पेश होने से फरार होने की संभावना के बारे में पुलिस द्वारा उठाई गई आपत्ति में योग्यता है।

13. अभियोजन पक्ष द्वारा अगली आपत्ति यह है कि चूंकि मृतक एर्नाकुलम का निवासी है और सभी अभियोजन पक्ष

गवाह त्रिशूर के रहने वाले हैं, याचिकाकर्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों पर प्रभाव डालने की संभावना है। रिलीज को अस्वीकार करने के लिए यह एक वैध आधार है। याचिकाकर्ता द्वारा पीड़ित के पेट पर चाकू से कई चोटों के कारण किए गए अपराध की क्रूरता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जाँच एजेंसी याचिकाकर्ता को अपराध में दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत एकत्र कर सकती है। सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर यह पाया जाता है कि

कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उचित आधार हैं कि याचिकाकर्ता को जमानत देने से आरोप के समर्थन में सबूत पेश करने से अभियोजन पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसलिए याचिकाकर्ता को रिहाई का आदेश प्राप्त करने का हकदार नहीं पाया जाता है। केरल राज्य v.

9. 14 दिसंबर 2020 को, प्रतिवादी अभियुक्त ने धारा के तहत उच्च न्यायालय में 2020 का बी. ए. No.8821 होने के नाते जमानत याचिका दायर की।

439 लोक अभियोजक द्वारा जमानत के लिए प्रार्थना का कड़ा विरोध किया गया, जिन्होंने तर्क दिया कि यदि रिहा किया जाता है, तो प्रतिवादी अभियुक्त गवाहों को प्रभावित करेगा, जिनमें से कई उसके करीबी रिश्तेदार, दोस्त और परिचित थे।

10. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस अपील में आक्षेपित आदेश द्वारा प्रतिवादी अभियुक्त को जमानत दे दी है, इसके बावजूद कि

लोक अभियोजक का विरोध, अभिलेख पर सामग्री की अनदेखी करते हुए, जो प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि प्रतिवादी ने एक खट्टे रिश्ते के कारण एक युवा महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या की थी। आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया हैः

" 7. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, मुझे लगता है कि यह जमानत आवेदन कर सकता है

सख्त शर्तों पर अनुमति दी जाए। यह सच है कि

याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं और

अभियोजन पक्ष द्वारा अब सामने रखी गई घटना बहुत ही जघन्य है। लेकिन याचिकाकर्ता 6.10.2020 के बाद से हिरासत में है। लोक अभियोजक ने यह भी कहा कि दूसरे और तीसरे आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन यह विचार करने योग्य मामला है कि याचिकाकर्ता 6.10.2020 के बाद से हिरासत में है।

याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल तक कैद रखना आवश्यक नहीं हो सकता है।

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में। लेकिन द. अभियोजन की आशंका पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

ऐसी परिस्थितियों में, एक दिशा हो सकती है

याचिकाकर्ता को ओलूर पुलिस की अधिकारिता सीमा में प्रवेश नहीं करना चाहिए

इस मामले में जाँच समाप्त होने तक स्टेशन।

11. जैसा कि ऊपर बताया गया है, घटना की उपस्थिति में हुआ

पीड़ित के पिता, जो घटना के चश्मदीद गवाह हैं। दुर्भाग्यपूर्ण पिता ने मध्यस्थता के लिए एक आवेदन दायर किया है

2021 का आवेदन संख्या 41412, और विवादित आदेश के खिलाफ अपील का समर्थन किया है।

12. उक्त आवेदन में, हस्तक्षेप के लिए 2021 का आई. ए. <आई. डी. 1 होने के नाते, दुर्भाग्यपूर्ण पिता ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी आरोपी चाकू लेकर दंत चिकित्सालय आया था, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसने पीड़ित को मारने की पूर्व नियोजित साजिश रची थी। जिस तरह से प्रतिवादी अभियुक्त ने पीड़िता के पेट पर चाकू मारा, और उसे पीटा

उस पर चोटें, जिसकी पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से होती है, स्पष्ट रूप से मौत का कारण बनने के इरादे को दर्शाती है। उन्होंने यह भी कहा है कि [2021] 2 एस. सी. आर. के अनुसार।

डॉक्टरों ने यह चिकित्सा चमत्कार था कि पीड़ित चार से पांच दिनों तक जीवित रही, भले ही वह पूरी तरह से कोमा में थी। 13. उच्च न्यायालय के विवादित आदेश पर हमला करते हुए, इस विशेष अनुमति याचिका में 2021 की आई. ए. संख्या 41412 में आवेदक होने के नाते, पीड़ित के पिता की ओर से पेश वकील द्वारा समर्थित अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी अभियुक्त ने एक युवती की नृशंस हत्या उसके पिता की उपस्थिति में की थी, जो घटना के चश्मदीद गवाह थे। द.

उच्च न्यायालय को केवल इसी आधार पर जमानत की प्रार्थना को अस्वीकार कर देना चाहिए था। प्रतिवादी अभियुक्त को जमानत देने वाला विवादित आदेश,

अपराध की गंभीरता के बावजूद, ठोस कारणों से रहित है, जो अभियुक्त को जमानत देने को उचित ठहराता है। उच्च न्यायालय ने भी नहीं

अभियुक्त प्रत्यर्थी को जमानत देने के आदेश में सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों पर विचार किया गया और न ही विस्तृत कारण दिए गए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी अभियुक्त को जांच समाप्त होने तक उल्लूर पुलिस स्टेशन की अधिकार क्षेत्र सीमा में प्रवेश करने से रोकना,

प्रतिवादी गवाहों को प्रभावित करने या धमकी देने का अभियुक्त।

14. प्रतिवादी अभियुक्त सुश्री लिज़ मैथ्यू, अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में पेश हुआ और विशेष अनुमति याचिका के लिए एक जवाबी हलफनामा दायर किया। महत्वपूर्ण रूप से, प्रतिवादी ने घटना को स्वीकार किया है लेकिन कहा है कि "चर्चा के दौरान, मृतक के माता–पिता और वास्तव में उनके बीच मौखिक विवाद हुआ।

शिकायतकर्ता जो मृतक पीड़ित के साथ था। हाथापाई हुई और दुर्भाग्य से मृतक पीड़ित को चोट लगी थी। प्रत्यर्थी का कोई अपराध करने का कोई इरादा या तैयारी नहीं थी।

15. प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया है

कि उच्च न्यायालय का विवादित आदेश अच्छी तरह से तर्कपूर्ण है। उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी अभियुक्त 6 अक्टूबर 2020 से हिरासत में था। प्रत्यर्थी की अनिश्चित कारावास अभियुक्त को आवश्यक नहीं पाया गया। अपीलार्थी के वकील ने प्रस्तुत किया कि जमानत आवेदन को कड़ी शर्तों पर अनुमति दी गई है। वकील ने विवादित आदेश द्वारा लगाई गई शर्तों पर जोर दिया

प्रतिवादी अभियुक्त को ओल्लूर पुलिस स्टेशन की अधिकारिता सीमा में प्रवेश करने से रोकना, जब तक कि मामले के मुख्य गवाहों से निचली अदालत द्वारा पूछताछ नहीं की जाती। उन्होंने यह भी जोरदार तर्क दिया कि एक बार जमानत दिए जाने पर विचार किए बिना यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए

क्या ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो जमानत को निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं बनाती थीं।

16. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि हालांकि इसके तहत जमानत देने की शक्ति

आई. डी. 2 की धारा 439 पर विवेकाधीन है, इस तरह के विवेकाधिकार को विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा राम गोविंद उपाध्याय दर्शन सिंह और आई. डी. 1 में (2002) 3 एस. सी. सी. 598 में अभिनिर्धारित किया गया है। बोलते हुए।

ई कोर्ट, उमेश चंद्र बनर्जी, जे ने कहाः

" 3. जमानत देना हालांकि एक विवेकाधीन आदेश है–लेकिन, इस तरह के विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता है, न कि निश्चित रूप से। बिना किसी ठोस कारण के जमानत के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है,

हालाँकि, यह कि जमानत की मंजूरी अदालत द्वारा निपटाए जा रहे मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर निर्भर करती है और तथ्य हमेशा मामले–दर–मामले भिन्न होते हैं। जबकि समाज में अभियुक्त की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में जमानत देने के मामले में एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता है और इसे हमेशा जोड़ा जाना चाहिए।

जमानत देने की आवश्यकता वाली अन्य परिस्थितियों के साथ। अपराध की प्रकृति जमानत देने के लिए बुनियादी विचारों में से एक है–अपराध जितना जघन्य होता है, जमानत की अस्वीकृति की संभावना उतनी ही अधिक होती है, हालांकि, यह निर्भर करता है।

मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर।

4. उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य जो प्रासंगिक विचार माने जा सकते हैं, उन पर भी ध्यान दिया जा सकता है।

हालांकि, एक ही मोड़ केवल उदाहरणात्मक है और

न तो संपूर्ण, न ही कोई हो सकता है। विचारणीय बातें

होनाः

(क) जमानत देते समय न्यायालय को न केवल आरोपों की प्रकृति, बल्कि सजा की गंभीरता को ध्यान में रखना होगा, यदि आरोप में दोषसिद्धि होती है और

आरोपों के समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति।

(ख) गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता के लिए खतरा होने की आशंका को भी अदालत के साथ विचार करना चाहिए।

जमानत देने का मामला।

(ग) यद्यपि अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने वाला पूरा साक्ष्य होने की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन हमेशा प्रथम दृष्टया एक साक्ष्य होना चाहिए।

आरोप के समर्थन में न्यायालय की संतुष्टि।

(घ) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए। और यह केवल वास्तविकता का तत्व है जिस पर जमानत देने के मामले में विचार किया जाना चाहिए, और घटनाओं के सामान्य क्रम में अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, अभियुक्त

जमानत के आदेश का हकदार है। "

17. प्रशांत कुमार सरकार बनाम। आशीष चटर्जी और अन्र। टेड इन (2010) 14 एस. सी. सी. 496, डी. के. जैन, जे., दो की ओर से बोलते हुए–इस न्यायालय के न्यायाधीश एच. ने शुद्धता की जांच करने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए।

अभियुक्त को जमानत देने का आदेश देता है। इस न्यायालय ने कहाः

" 9. ..... यह मामूली बात है कि यह न्यायालय आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं करता है।

एक आदेश के साथ [आशीष चटर्जी बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य, 2010 का सी. आर. एम. सं. 272, दिनांक 11–1–2010 (कैल)] का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए पारित किया गया।

इस मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णय। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अन्य परिस्थितियों के अलावा, किन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय ये हैंः

((i) क्या यह विश्वास करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था;

((ख) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

((ग) दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता;

((iv) अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा, यदि –

जमानत पर रिहा किया गया;

(v) चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और स्थिति

अभियुक्त;

((vi) अपराध के दोहराये जाने की संभावना;

(vii) गवाहों के होने की उचित आशंका

प्रभावित; और

(viii) निश्चित रूप से, अनुदान द्वारा न्याय को विफल किए जाने का खतरा।

जमानत से।

10. यह स्पष्ट है कि यदि उच्च न्यायालय इन प्रासंगिक विचारों का विज्ञापन नहीं करता है और यांत्रिक रूप से जमानत प्रदान करता है, तो उक्त आदेश गैर–आवेदन के दुष्प्रभाव से पीड़ित होगा। मन की बात है, इसे अवैध बनाना।

18. महिपाल वी. राजेश कुमार और अन्र। (2020) 2 में रिपोर्ट किया गया

118 , इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 14. अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने का प्रावधान किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छूता है। यही कारण है कि यह न्यायालय आम तौर पर जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है। हालांकि, जहां जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय के विवेकाधिकार का प्रयोग बिना जमानत दिए किया गया है

मन का उचित अनुप्रयोग या मन के उल्लंघन में

इस न्यायालय के निर्देश, जमानत देने वाला ऐसा आदेश उत्तरदायी है अलग करने के लिए। न्यायालय को अन्य बातों के अलावा, प्रथम दृष्टया यह विचार रखने की आवश्यकता है कि अभियुक्त ने अपराध को अंजाम दिया था।

अपराध, अपराध की प्रकृति और गंभीरता और

अभियुक्त द्वारा कार्यवाही में बाधा डालने की संभावना

किसी भी तरह से मुकदमा चलाना या न्याय के मार्ग से बचना। द.

जमानत पर रिहा होने का प्रावधान उपयुक्त है

न्याय के प्रशासन में सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के बीच संतुलन

मामले से। हालाँकि, जमानत का अनुदान कानून की सीमाओं के भीतर और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन में सुरक्षित किया जाना है। यही कारण है कि एक अदालत को

मामला-दर-मामला आधार पर जमानत देने की विवेकाधीन शक्ति। इस निर्धारण में अंतर्निहित है कि क्या, के विश्लेषण पर अभिलेख में, यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने का प्रथम दृष्टया या उचित कारण है कि अभियुक्त ने अपराध किया था। इस स्तर पर अदालत के लिए यह प्रासंगिक नहीं है कि वह निर्णायक निष्कर्ष पर आने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य की विस्तार से जांच करे।

19. प्रत्यर्थी अभियुक्त ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया न्याय चंद्र बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बताया कि

राष्ट्र और ओआरएस। (2011) 1 एस. सी. सी. 694 में रिपोर्ट की गई, जहां इस न्यायालय ने कहा कि आरोप की गंभीरता परीक्षण या कारक नहीं है, जबकिजमानत के लिए आवेदन करना।

20. संजय चंद्र (ऊपर) में, अभियुक्तों पर भारी परिमाण के अपराधों का आरोप लगाया गया था जो अपराध को खतरे में डाल सकते थे।

देश का ओम। इस न्यायालय ने कहाः

" 21.जमानत आवेदनों में, आम तौर पर, यह प्रारंभिक समय से निर्धारित किया गया है कि जमानत का उद्देश्य जमानत प्राप्त करना है। अभियुक्त व्यक्ति की उसके मुकदमे में उचित रूप से उपस्थिति

जमानत की राशि। जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक। स्वतंत्रता से वंचित करने को एक सजा माना जाना चाहिए, जब तक कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता न हो कि कोई अभियुक्त व्यक्ति बुलाए जाने पर अपने मुकदमे का सामना करेगा। अदालतों को इस सिद्धांत के लिए मौखिक सम्मान से अधिक देना पड़ता है कि सजा दोषसिद्धि के बाद शुरू होती है, और यह कि प्रत्येक व्यक्ति को माना जाता है

जब तक उचित रूप से मुकदमा नहीं चलाया जाता और विधिवत रूप से दोषी नहीं पाया जाता, तब तक निर्दोष।

22. शुरुआती समय से, यह सराहना की जाती थी कि मुकदमे के पूरा होने तक हिरासत में हिरासत में रखना बड़ी कठिनाई का कारण बन सकता है। समय-समय पर आवश्यकता यह माँग करती है कि कुछ निर्दोष व्यक्तियों को मुकदमे के लंबित रहने तक हिरासत में रखा जाना चाहिए

मुकदमे में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लेकिन ऐसे मामलों में, "आवश्यकता" ऑपरेटिव टेस्ट है। इस देश में, यह संविधान में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत

होगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले के संबंध में दंडित किया जाना चाहिए, जिस पर उसे दोषी नहीं ठहराया गया है या किसी भी परिस्थिति में, उसे अपनी स्वतंत्रता से केवल इस विश्वास पर वंचित किया जाना चाहिए कि अगर वह सबसे असाधारण परिस्थितियों में छोड़ दिया जाता है, तो वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

23. रोकथाम के सवाल के अलावा जमानत से इनकार करने का उद्देश्य होने के कारण, किसी को इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि दोषसिद्धि से पहले किसी भी कारावास में पर्याप्त दंडात्मक प्रावधान होता है। सामग्री और किसी भी अदालत के लिए जमानत से इनकार करना अनुचित होगा

पूर्व आचरण की अस्वीकृति के चिह्न के रूप में क्या अभियुक्त को इसके लिए दोषी ठहराया गया है या नहीं या उसे सबक के रूप में कारावास का स्वाद देने के उद्देश्य से किसी निर्दोष व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया गया है।

24. तत्काल मामले में, हम पहले ही देख चुके हैं कि अपीलार्थियों के खिलाफ "आरोप की उंगली" "आरोप की गंभीरता" है। कथित अपराध आर्थिक अपराध हैं जिनके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को नुकसान हुआ है। हालाँकि, वे तर्क देते हैं कि इसकी संभावना है

गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपीलकर्ताओं ने केरल बनाम राज्य को प्रस्तुत नहीं किया है।

आरोप के समर्थन में कोई भी सामग्री। हमारे विचार में, आरोप की गंभीरता, निस्संदेह, जमानत आवेदनों पर विचार करते समय प्रासंगिक विचारों में से एक है, लेकिन वह है –

एकमात्र परीक्षण या कारक नहीं हैः अन्य कारक जिस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वह दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दोनों के तहत परीक्षण और दोषसिद्धि के बाद लगाया जा सकता है। अन्यथा, अगर पहली ही एकमात्र परीक्षा है, तो हम संवैधानिक अधिकारों को संतुलित नहीं कर रहे होंगे

बल्कि "न्याय के तराजू को फिर से कैलिब्रेट करना"।
25. सी. आर. पी. सी. के प्रावधान आपराधिक अदालतों को विचाराधीन मुकदमे या दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में अभियुक्त को जमानत देने के लिए विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हैं; चूंकि अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन है, इसलिए इसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्यवान अधिकार को संतुलित करके बहुत सावधानी और सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।

व्यक्ति और सामान्य रूप से समाज का हित।

21. धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने के विवेकाधिकार के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए सिद्धराम सतलिंगप्पा क्षेत्र (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संतुलित करने की आवश्यकता की वकालत की।

सामाजिक हित। इस न्यायालय ने कहाः

" 84. जिस तरह स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के लिए मूल्यवान है, उसी तरह शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में समाज का हित है। दोनों

समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

22. जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए कोई सीधा जैकेट फॉर्मूला नहीं है। आरोप की गंभीरता निस्संदेह प्रासंगिक में से एक है संजय के मामले में जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय विचार

प्रतिबादी अभियुक्त की ओर से चंद्र (ऊपर) का हवाला दिया गया। जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते हुए अदालत को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करना होगा, जिसमें अपराध की गंभीरता, साक्ष्य और सामग्री जो प्रथम दृष्टया कथित अपराध में जमानत के लिए आवेदक की संलिप्तता को दर्शाती है, जमानत के लिए आवेदक की संलिप्तता की सीमा, कथित अपराध में, आवेदक आरोपी के फरार होने या अन्यथा न्याय के पाठ्यक्रम को हराने या देरी करने की संभावना, उचित शामिल हैं।

पीड़ित (यदि जीवित है), शिकायतकर्ता, उनके रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य गवाहों की सुरक्षा के लिए खतरा। 23. प्रतिवादी अभियुक्त के वकील ने अंततः तर्क दिया कि यह न्यायालय आम तौर पर अपील करने के लिए विशेष अनुमति [2021] 2 एस. सी. आर. के लिए याचिका पर विचार नहीं करता है।

जमानत या अग्रिम जमानत देने या अस्वीकार करने या रद्द करने के आदेश के विरुद्ध। इस मामले में जांच पूरी हो गई है और 1 जनवरी 2021 को आरोप पत्र दायर किया गया है।

24. जगदीश और ओआरएस में। वी. हरेंद्रजीत सिंह ने (1985) 4 एस. सी. सी. 508 में प्रतिवेदित किया, जिसे प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से उद्धृत किया गया था।

कि, यह न्यायालय सामान्य रूप से, अनुच्छेद 136 के तहत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, जमानत या अग्रिम जमानत देने या अस्वीकार करने या रद्द करने के आदेशों के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका पर विचार नहीं करता है। हो सकता है।

जमानत देने और/या अस्वीकार करने के आदेशों के साथ असाधारण नहीं है। बिना सोचे समझे और प्रासंगिक कारकों की अवहेलना करते हुए जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश को कायम रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 25. वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी अभियुक्त को 21 दिसंबर 2020 को जमानत दी गई थी, जो लगभग तीन महीने पहले की बात है, लेकिन उसने किसी भी तरह से न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया है। न ही प्रतिवादी अभियुक्त ने न्याय के उचित मार्ग से बचने या बचने का प्रयास किया है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी अभियुक्त 75 दिनों से न्यायिक हिरासत में था। जाँच समाप्त हो गई थी और प्रतिवादी अभियुक्त को निरंतर हिरासत में रखने की अब आवश्यकता नहीं थी।

26. पी. चिदम्बरम बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने 2020 (13) एस. सी. सी. 791 में रिपोर्ट की, वकील प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने बार–बार इस प्रस्ताव पर प्रकाश डाला था कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है।

27. दोलत राम और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए। वी.

हरियाणा राज्य ने (1995) 1 एस. सी. सी. 349 में बताया कि यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी अभियुक्त को जमानत दिए जाने के बाद, 21 दिसंबर 2020 के विवादित आदेश द्वारा, इस न्यायालय को उसे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं करना चाहिए, इस बात पर विचार किए बिना कि क्या ऐसी कोई पर्यवेक्षण परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने प्रतिवादी अभियुक्त की जमानत की स्वतंत्रता को प्रदान किया था, जो निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुचित था।

" 4. प्रारंभिक चरण में गैर–जमानती मामले में जमानत की अस्वीकृति और इस तरह से दी गई जमानत को रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए और अलग–अलग आधारों पर निपटा जाना चाहिए। बहुत दृढ़ और
केरल राज्य बनाम के आदेश के लिए भारी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं।

जमानत को रद्द करने का निर्देश, जो पहले ही दी जा चुकी है।

आम तौर पर, जमानत रद्द करने के आधार, मोटे तौर पर (उदाहरणात्मक और संपूर्ण नहीं) हैंः न्याय या चोरी के प्रशासन के उचित पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास या न्याय के उचित पाठ्यक्रम से बचने का प्रयास या किसी भी मामले में अभियुक्त को दी गई रियायत का दुरुपयोग।

तरीके से। सामग्री के आधार पर न्यायालय की संतुष्टि

अभियुक्त की संभावना के अभिलेख पर रखा गया

फरार होना जमानत रद्द करने को उचित ठहराने का एक और कारण है। हालांकि, एक बार दी गई जमानत को इस बात पर विचार किए बिना यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि क्या कोई

पर्यवेक्षण परिस्थितियों ने इसे अब नहीं बना दिया है

मुकदमे के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेते हुए अभियुक्त को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देने के लिए एक निष्पक्ष मुकदमे के लिए अनुकूल।

29. इस अपील में प्रत्यर्थी अभियुक्त को जमानत देने में न्यायालय के विवादित आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाया गया है। जमानत की शुद्धता का निर्णय लेने के लिए अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग जमानत रद्द करने के सिद्धांतों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। जैसा कि न्यायालय ने डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ जे. के माध्यम से महिपाल बनाम में कहा है।

श्री कुमार (ऊपर):

" 16. अपीलीय की शक्ति का मार्गदर्शन करने वाले विचार

जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता का आकलन करने में अदालत

एक के मूल्यांकन से एक अलग आधार पर खड़े हैं जमानत रद्द करने के लिए आवेदन। जमानत देने के आदेश की शुद्धता का परीक्षण इस आधार पर किया जाता है कि क्या जमानत देने में विवेक का अनुचित या मनमाना प्रयोग किया गया था। परीक्षण यह है कि क्या जमानत देने का आदेश है

विकृत, अवैध या अनुचित। दूसरी ओर, एक

जमानत रद्द करने के आवेदन की जांच आम तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जमानत की शर्तों के उल्लंघन या पर्यवेक्षण परिस्थितियों के अस्तित्व के आधार पर की जाती है जिसे जमानत दी जाती है। दिया गया है। नीरू यादव बनाम। ofU.P लिखिए। [नीरू यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 16 एस. सी. सी. 508: (2015) 3 एससीसी (सीआरआई)

527] , अभियुक्त को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी

[मितान यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 16031]। आदेश के खिलाफ एक अपील में [मिठन यादव बनाम। की स्थिति

उच्च न्यायालय की यू. पी., 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 16031], इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने उन सिद्धांतों पर पूर्ववर्ती का सर्वेक्षण किया जो जमानत देने का मार्गदर्शन करते हैं। दीपक मिश्रा, जे. (सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के रूप में)

विद्वान मुख्य न्यायाधीश को तब अभिनिर्धारित किया गया था): (नीरू यादव मामला [नीरू यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 16 एस. सी. सी. 508: (2015) 3

एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 527], एस. सी. सी. पी. 513 , पैरा 12)

" 12. ..... यह कानून में अच्छी तरह से तय है कि जमानत दिए जाने के बाद उसे रद्द कर दिया जाता है क्योंकि आरोपी ने खुद को गलत तरीके से पेश किया है।

या कुछ अधिशासी परिस्थितियों के लिए जो इस तरह की आवश्यकता होती है रद्द करना एक अलग डिब्बे में हुआ है

पूरी तरह से जमानत देने वाले आदेश जो अन्यायपूर्ण, अवैध और विकृत है। यदि किसी मामले में, प्रासंगिक कारक जो जमानत के आवेदन पर विचार करते समय विचार किया जाना चाहिए था, या जमानत पर ध्यान नहीं दिया गया है।

अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है, निर्विवाद रूप से

उच्चतर न्यायालय जमानत के इस तरह के अनुदान के आदेश को रद्द कर सकता है। ऐसा मामला एक अलग श्रेणी से संबंधित है और एक में है अलग क्षेत्र। दूसरी प्रकृति के मामले से निपटने के दौरान,

न्यायालय अभियुक्त द्वारा शर्तों के उल्लंघन या अधिशासी परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देता है जो बाद में हुआ। इसके विपरीत, इसमें तल्लीन हो जाता है

न्यायसंगतता और द्वारा पारित आदेश की दृढ़ता

अदालत "।

17. जहाँ जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाला न्यायालय प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहता है, वहाँ एक अपीलीय न्यायालय उचित रूप से विचार कर सकता है।

जमानत देने के आदेश को रद्द कर दें। इस प्रकार एक अपीलीय अदालत को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या जमानत देने का आदेश गैर–विवेक से ग्रस्त है या रिकॉर्ड पर साक्ष्य के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से उत्पन्न नहीं है। अतः इस न्यायालय के लिए यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या साक्ष्य अभिलेख के आधार पर यह विश्वास करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार मौजूद है कि अभियुक्त ने अपराध किया था, अपराध की गंभीरता और अपराध की गंभीरता को भी ध्यान में रखते हुए।

सजा "।

30. प्रतिवादी अभियुक्त के वकील ने भी प्रभाकर तिवारी बनाम का हवाला दिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य। (2020) 11 में रिपोर्ट किया गया

एस. सी. सी. 648 जहाँ इस न्यायालय ने जे. अनिरुद्ध बोस के माध्यम से कहा है

जमानत देने के आदेश को दरकिनार करने के लिए अपीलीय हस्तक्षेप के दायरे पर चर्चा की। प्रभाकर तिवारी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 6. महिपाल वी. राजेश कुमार, (2020) 2 एस. सी. सी. 118, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने केरल राज्य बनाम के दायरे पर चर्चा की है।

जमानत देने के आदेश को दरकिनार करने में अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता। इस तरह के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए दो प्रमुख कारक हैं–जमानत देने वाली अदालत की ओर से विवेक का प्रयोग न करना या जमानत देने में अदालत की राय साक्ष्य के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से उत्पन्न नहीं होती है।

रिकॉर्ड करें। मोहम्मद में। अमीर रशादी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 2 एस. सी. सी. 382, इस न्यायालय की दो–न्यायाधीशों की पीठ ने एक आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया [रमाकांत यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 3388] एक

अभियुक्त को जमानत देते हुए उच्च न्यायालय उस मामले की तथ्यात्मक विशेषताओं पर विचार करना।

31. उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी अभियुक्त के एफ पर उद्धृत (2020) 13 एस. सी. सी. 791 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय चिदंबरम (उपरोक्त) के फैसले पर भी भरोसा किया है। उद्धृत निर्णय में निर्धारित कानून के प्रावधान के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता था। तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए ए. एस. बोपन्ना, जे. किंग ने निर्णय दियाः

" 23.इस प्रकार, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय सहित दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णयों के संचयी अवलोकन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जमानत से संबंधित बुनियादी न्यायशास्त्र समान है क्योंकि

जमानत देना नियम है और अस्वीकार करना अपवाद है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई हासिल करने का अवसर मिले। हालांकि, उसी पर विचार करते हुए की गुरुत्वाकर्षण

अपराध एक ऐसा पहलू है जिसे न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। उक्त उद्देश्य की गंभीरता को प्रत्येक मामले में उत्पन्न होने वाले तथ्यों और परिस्थितियों से एकत्र करना होगा। वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में समाज पर पड़ने वाले परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह किया गया है

अभिनिर्धारित किया कि आर्थिक अपराध भी इस श्रेणी में आते हैं

"गंभीर अपराध" और ऐसी परिस्थितियों में जबकि

ऐसे मामलों में जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते हुए, न्यायालय प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने के कारण उसी से निपटना होगा

अभियुक्त पर लगाए गए आरोप। इनमें से एक

अपराध की गंभीरता पर विचार करने के लिए परिस्थितियाँ भी सजा की अवधि है जो अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के लिए निर्धारित की गई है। अपराध की गंभीरता के संबंध में इस तरह का विचार एक ऐसा कारक है जो ट्रिपल टेस्ट या ट्राइपॉड टेस्ट के अलावा है जिसे सामान्य रूप से लागू किया जाएगा। इस संबंध में जो बात भी परिप्रेक्ष्य में रखी जानी चाहिए वह यह है कि भले ही आरोप गंभीर आर्थिक अपराध का हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट यह कोई नियम नहीं है कि हर मामले में जमानत से इनकार किया जाना चाहिए क्योंकि विधायिका द्वारा पारित प्रासंगिक अधिनियम में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं बनाया गया है और न ही जमानत न्यायशास्त्र ऐसा प्रदान करता है। इसलिए, रेखांकित निष्कर्ष यह है कि आरोप की प्रकृति और गंभीरता के बावजूद, अकेले किसी अन्य मामले की मिसाल जमानत देने या अस्वीकार करने का आधार नहीं होगी, हालांकि इसका सिद्धांत पर असर हो सकता है। लेकिन अंततः मामले में शामिल तथ्यों और मुकदमे में खड़े होने के लिए आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के आधार पर विचार करना होगा।

32. पी. चिदंबरम (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश की अपील को स्वीकार कर लिया, और अपीलार्थी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया।यद्यपि, उल्लिखित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय है, जिन्हें नीचे निकाला गया हैः

" 28. इसलिए, इस स्तर पर जमानत पर विचार करते हुए

अपीलार्थी के आवेदन पर यहाँ क्या ध्यान दिया जाना चाहिए की, एक स्तर पर जब अपीलार्थी अंतरिम संरक्षण/अग्रिम की मांग करने वाले आवेदन में इस न्यायालय के समक्ष था

जमानत, यह न्यायालय आपराधिक मामले पर विचार करते हुए

2019 की अपील सं. 1340 ने इस संबंध में यह अभिनिर्धारित किया था कि वर्तमान प्रकृति के मामले में जहां गंभीर आर्थिक अपराध है

कथित, हिरासत में पूछताछ जैसा कि तर्क दिया गया है

आवश्यक था और उस परिस्थिति में अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई थी। इसके बाद, अपीलार्थी को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की गई है और उक्त उद्देश्य के लिए

अपीलार्थी 16 10–2019 के बाद से इस मामले में हिरासत में उपलब्ध था। तथापि, प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि गवाहों का सामना करना होगा और इस उद्देश्य के लिए अभिरक्षा की आवश्यकता है।

29. जैसा कि उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी को ईसीआईआर में अभियुक्तों में से एक के रूप में नामित नहीं किया गया है, बल्कि आरोप लगाए जाने के दौरान किया गया है सह–अभियुक्त के विरुद्ध यह अपीलार्थी को इंगित किया जाता है जो था

उस समय वित्त मंत्री ने अवैध रूप से सहायता की है लेन–देन क्योंकि सह–अभियुक्तों में से एक अपीलार्थी का पुत्र है। इस संदर्भ में, भले ही अभिलेख पर दिए गए बयानों और एकत्र की गई सामग्रियों पर ध्यान दिया जाए, अपीलार्थी की मुकदमे में संलिप्तता स्थापित करनी होगी और यदि –

दोषी ठहराए जाने पर, अपीलार्थी को सजा होगी।

उपस्थित, जैसा कि ध्यान दिया गया है, अग्रिम जमानत दी गई थी

पहले अस्वीकार कर दिया और अपीलार्थी अभिरक्षा के लिए उपलब्ध था

अभिरक्षा में पूछताछ यदि आगे की जांच की जानी है, तो अपीलार्थी इस तरह की जांच में भाग लेने के लिए बाध्य होगा। प्रत्यर्थी द्वारा अपेक्षित जाँच।

33. इस मामले में, उच्च न्यायालय का विवादित आदेश त्रुटिपूर्ण है, जिसमें उच्च न्यायालय ने कथित अपराध की गंभीरता को नोट किया,

यह देखा कि घटना जघन्य थी, लेकिन जमानत देने के लिए आगे बढ़े

यह विश्वास करने के लिए उचित आधार कि प्रतिवादी अभियुक्त ने जघन्य अपराध किया था। उस स्तर पर, यहां तक कि आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता या इस तथ्य पर अपना ध्यान नहीं दिया कि आरोपी घटना के बाद फरार था।

34. जैसा कि अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया था, हस्तक्षेप के लिए आवेदक द्वारा समर्थित, पीड़ित के असहाय माता-पिता होने के नाते, उच्च न्यायालय ने

प्रतिवादी अभियुक्त की जमानत की प्रार्थना को अस्वीकार करने के अपने आदेश में सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए विस्तृत कारणों पर न तो विचार किया है और न ही चर्चा की है। उच्च न्यायालय का विवादित आदेश सत्र न्यायालय के तर्क में किसी भी त्रुटि का विज्ञापन नहीं करता है। न ही इस बात पर कोई चर्चा की गई है कि उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण क्यों लिया कि क्या कोई पर्यवेक्षण था।

सत्र न्यायालय के आदेश के 10/12 दिनों के भीतर की परिस्थितियाँ, जिसके लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता थी।

35. उच्च न्यायालय ने, हमारी राय में, अभियोजन की इस आशंका की सराहना नहीं करने में स्पष्ट रूप से गलती की कि प्रत्यर्थी अभियुक्त

गवाहों को प्रभावित करेगा, प्रतिवादी अभियुक्त को ओलूर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश न करने का निर्देश देकर उन्हें शांत नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि मृतक पीड़ित एर्नाकुलम में रहती थी। उसके माता-पिता और उसकी पाँच साल की बेटी

एर्नाकुलम में रहते हैं। दूसरे शब्दों में, एकमात्र चश्मदीद गवाह एर्नाकुलम का निवासी है। अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह त्रिशूर के थे। यह मानने का कोई कारण नहीं था कि गवाह अपनी गतिविधियों को ओलूर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र की सीमा तक सीमित रखेंगे।

आई. पी. सी., जिसमें आजीवन कारावास की न्यूनतम सजा शामिल है।

37. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि नोवेल कोविड-19 महामारी का प्रकोप और इसका प्रसार गंभीर सार्वजनिक चिंता का विषय रहा है। वायरस अत्यधिक संक्रामक होने के कारण, इसके प्रसार को रोकने के लिए सावधानियाँ

जहाँ तक संभव हो, संक्रमण अनिवार्य है। 2020 की सुओ मोटू रिट याचिका (सिविल) संख्या 1 में पुनः: जेलों में कोविड-19 वायरस का संक्रमण, इस न्यायालय ने भीड़भाड़ वाले सुधार गृहों में बंद कैदियों के बीच कोविड-19 के फैलने की संभावना पर चिंता व्यक्त की और

तदनुसार समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं, जिसमें संबंधित अधिकारियों को इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है, ताकि सुधार गृहों के कैदियों में कोविड के प्रसार के जोखिम को कम किया जा सके। इस न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि राज्यों

और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए जो भीड़भाड़ को रोकने के लिए महामारी के दौरान कुछ कैदियों को अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा करने पर विचार करे जेलों से।

38. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के उद्देश्य, दायरे और दायरे की पूरी तरह से गलत सराहना की है।

समय-समय पर इन रेः जेलों में कोविड 19 वायरस का संक्रमण। इस न्यायालय ने सभी विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का निर्देश नहीं दिया, भले ही

अपराध की गंभीरता। भारत के विद्वान महान्यायवादी, श्री वेणुगोपाल, इस न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमित्र, श्री दुष्यंत दवे और अन्य विद्वान वकीलों, राज्यों और केंद्र को सुनने के बाद

इस न्यायालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सात साल या उससे कम की निर्धारित सजा के साथ छोटे अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए कैदियों को रिहा करने पर विचार करने का निर्देश दिया। इस न्यायालय के आदेशों को इस रूप में नहीं माना जाना चाहिए कोई भी निर्देश, या यहाँ तक कि अवलोकन, जिसमें हत्या के आरोप में विचाराधीन कैदियों की रिहाई की आवश्यकता होती है, और वह भी, जाँच पूरी होने से पहले। और आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। प्रतिवादी अभियुक्त, उस पर एक चश्मदीद गवाह की उपस्थिति में हत्या का आरोप लगाया गया था, और आरोपों से पहले ही जमानत देने का आदेश दायर कर दिया गया था

ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप पत्र 01.01.20 पर दायर किया गया था, जिसके बाद प्रतिवादी आरोपी फरार हो गया था। 39. ऊपर चर्चा किए गए कारणों से उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को खारिज कर दिया जाता है। अभियुक्त को हिरासत में लिया जाएगा।

40. इस आदेश की एक प्रति निगम को भेजी जाएगी।

स्टेशन के साथ-साथ न्यायिक मुख्य न्यायिक। अनुपालन।

41. लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हो, तो निरस्त कर दिए जाएंगे।